



सत्यमेव जयते

भारतसरकार
Government of India
केन्द्रीयजलआयोग
Central Water Commission
मुख्यअभियंताकार्यालय
Office of the Chief Engineer
ऊपरीगंगाबेसिनसंगठन
Upper Ganga Basin Organization



दूरभाषसं. - 2715832

फैक्ससं.- 2719834

ईमेल- secolucknow-cwc@nic.in

'जान्हवीसदन'. 21/496. इंदिरानगर,

लखनऊ-226016

भावदर आमंत्रण सूचना (NIQ)

भारत के राष्ट्रपति की ओर से अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्नलिखित कार्य हेतु मोहरबंद कोटेशन आमंत्रित किये जाते हैं। इच्छुक प्रतिष्ठित पंजीकृत फर्म अपनी मोहरबंद दरें दिनांक 15/10/2020 को 15:00 बजे तक या पहले अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। कोटेशन दिनांक 15/10/2020 को 16:00 बजे खोली जायेगी। यदि कोटेशन दाता या उनके प्रतिनिधि चाहें तो वे कोटेशन खुलने के समय उपस्थित हो सकते हैं।

Name of work –“Repairing of Genset (Mahindra powerol, Model-SD15KVA(3PH)) with necessary Accessories & Labour”(Schedule of Quantities enclosed)

नियम एवं शर्तें:-

1. मोहरबंद लिफाफे पर कार्य का नाम एवं कोटेशन संख्या आदि लिखा होना चाहिए।
2. कोटेशन वाले लिफाफे पर-“ **Repairing of Genset (Mahindra powerol,Model-SD15KVA(3PH)) with necessary Accessories & Labour”(Schedule of Quantities enclosed)** अंकित किया जाना चाहिए।
3. कोटेशन को मुख्य अभियंता कार्यालय, ऊपरी गंगा बेसिन संगठन, केन्द्रीय जल आयोग, "जान्हवी सदन", 21/496, सेक्टर -21, इंदिरा नगर, लखनऊ -226016 को संबोधित किया जाना चाहिए।
4. दरों को शब्दों एवं संख्या दोनों में लिखा होना चाहिए।
5. केवल वो फर्म जिनके पास GST नंबर है अपना कोटेशन जमा करने के लिए योग्य हैं।
6. सभी कटिंग्स एवं ओवर राइटिंग प्रतिष्ठान द्वारा हस्ताक्षरित होनी चाहिए।
7. मरम्मत कार्य की मात्रा अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में देखें जा सकते हैं। किये जाने वाले कार्य का पूर्णअवलोकन करने के बाद ही अपने भाव दर इस कार्यालय को उपलब्ध कराये बाद में कोई भी संशोधन मान्य नहीं होगा।

8. अधिशासी अभियंता, मध्य गंगा मंडल- प्रथम, सी.डब्ल्यू.सी, लखनऊ के पक्ष में केवल डिमांड ड्राफ्ट के रूप में 520 / - रुपये (पांच सौ बीस रुपये) की न्यूनतम धनराशि, NIQ के साथ लखनऊ में देय होनी चाहिए, अन्यथा कोटेशन मान्य नहीं होगा ।
9. कोटेशन में दर्शाई गयी दरें 30 दिन तक मान्य होनी चाहिए । इस मुद्दे पर कोटेशनदाता की चुप्पी उसकी इस शर्त से सहमति मानी जाएगी ।
10. उद्धृत दरों में सभी टैक्स समावेशी G.S.T. / परिवहन शुल्क शामिल होने चाहिए और ऊपर के अलावा कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा।
11. कार्य संतोषजनक रूप से पूर्ण होने के उपरांत पूर्व पावती बीजक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसका भुगतान पी० एफ० एम० एस० के द्वारा किया जायेगा ।
12. कार्य 03 दिनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।
13. शर्तों के साथ भेजे गए कोटेशन स्वीकार नहीं किये जायेंगे ।
14. कार्य की मात्र घटाने एवं बढ़ाने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित है ।
15. अधोहस्ताक्षरी के पास बिना कारण बताये किसी भी कोटेशन को स्वीकृत एवं अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित है ।
16. प्रतिष्ठान GST नंबर तथा PAN नंबर धारक होना चाहिए एवं छायाप्रति कोटेशन के साथ में संलग्न होनी चाहिए।
17. कोटेशन में प्रोपराइटर के मोहर सहित हस्ताक्षर होना अनिवार्य है ।

(आशिष कुमार पाल)

अधीक्षण अभियन्ता (समन्वय)

प्रतिलिपिः

1. अधिशासी अभियंता, मध्य गंगा मंडल-प्रथम।
2. सूचना पट्ट, ऊ.गं.बे.सं., केंद्रीय जल आयोग ।
3. CWC वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।